

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर**

क्रमांक:-ई-20/नर्सिंग/जोन-अजमेर/सेवानिवृत्ति/x-03-00781/2024/ 103

दिनांक:- 4-3-2024

--: आदेश :-

निम्नलिखित नर्सिंग कर्मियों के द्वारा राज्य सेवा में 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित सेवा निवृत्ति तिथि को मध्याह्न पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम (श्री/सुश्री/श्रीमती)	पदस्थापन जिला	जन्मतिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	सन्तोष गेहलोत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	नागौर	05.05.1964	15.09.1986	31.05.2024
2	प्रेम कुमारी स्वर्णकार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	भीलवाडा	20.07.1964	29.09.1992	31.07.2024
3	चन्द्रकला शर्मा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	भीलवाडा	10.09.1964	18.11.1988 म.प.	30.09.2024
4	मूली लोहानी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	डीडवाना कुचामन	24.06.1964	01.12.1992	30.06.2024
5	निर्मला चंचलानी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	डीडवाना कुचामन	31.10.1964	28.11.1992	31.10.2024
6	आशा रानी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	डीडवाना कुचामन	05.03.1965	07.11.1996	31.03.2025
7	गायत्री स्वामी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	नागौर	30.04.1964	21.11.1987	30.04.2024
8	अनिता सम्भुएल महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	अजमेर	28.09.1964	04.09.1991	30.09.2024
9	सुमित्रा देवी सैन महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	अजमेर	07.06.1964	06.01.1989	30.06.2024

**यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नर्सिंग कर्मियों के विरुद्ध आज दिनांक तक :-**

- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(राकेश कुमार शर्मा)  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर  
दिनांक:- 4-3-2024

क्रमांक:-ई-20/नर्सिंग/जोन-अजमेर/सेवानिवृत्ति/x-03-00781/2024/ 103

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज. जयपुर।
- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन-अजमेर।
- चिकित्सा अधीक्षक, महात्मा गाँधी अस्पताल भीलवाडा।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा/नागौर/अजमेर/डीडवाना कुचामन।
- सम्बन्धित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
- सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राजस्थान।
- प्रभारी डी०पी०सी० अनुभाग, मुख्यालय।
- सम्बन्धित कार्मिकों को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
- आदेश/निजी पत्रावली।

RajKaj Ref  
5712745

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर  
Document Certified by RAKESH KUMAR  
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh  
Kumar Sharma  
Designation: Director  
Date: 05-03-2024 03:56:40